विशेष किशोर पुलिस इकाई

संरचना

- प्रत्येक जिले पर विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना होगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी के रूप में पुलिस निरिक्षक का नाम निर्दिष्ट कर जनपद के सभी थानों को प्रेषित किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (जिनमें से एक महिला होगी) की सेवा उपलब्ध कराएगी (नियम 84(2))
- विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद स्तर से सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाईन मान्यता प्राप्त एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चों एवं किशोरों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता, उत्पीड़न तथा शोषण से विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षक के रूप में समन्वय और कार्य करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई अपने जिले के सभी थानों में तैनात बाल कल्याण अधिकारियों से सम्बंधित प्रपत्र पर मासिक अद्यतन स्थिती का रिकार्ड रखेगी और सभी थानों का प्रत्येक तिमाही अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुधार हेतु सहायता प्रदान करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई का अनुश्रवण एवं निगरानी पुलिस महानिदेशालय के पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) द्वारा किया जाएगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई अपने जिले के सभी थानों से संम्बंधित प्रपत्र मासिक अद्यतन स्थिती प्रत्येक माह पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) पुलिस महानिदेशालय लखनऊ को प्रषित करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि के साथ संघर्षरत बच्चों की पहचान करके उन्हें उपयुक्त परामर्श हेतु सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं लेगी ताकि इन बच्चों को समाज की मुख्यधाराओं से जोड़ा जा सके। साथ ही इन बच्चों के माता–पिता को मान्यता प्राप्त एन0जी0ओ0 की मद्यस्था से

पारिवारिक जीवन कौशल एवं बच्चों के साथ उचित व्यवहार के तरीकों पर परामर्श दिलवाएगी। (नियम 11 (2) एंव 84 (8)

- विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चों के विरूद्ध हिंसा, बच्चों की उपेक्षा, बच्चों के शोषण के साथ–साथ बच्चों के संरक्षण से संम्बंधित कानूनों पर जनसाधारणा में जागरूरता हेतु स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों तथा ग्राम सभाओं, या निवासीय कल्याण संगमों की सहायता लेगी (नियम 84 का उपनियम (7))। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित बाल सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न स्तरीय संस्थाओं से समन्वय व सहयोग प्राप्त करेगी।
- प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रधान जनपद का पुलिस अधिक्षक होगा जो समय–समय पर इन इकाईयों के काम काज का अवलोकन करेगा ताकि गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा–निर्देश दिये जा सकें।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उन स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेगी जो
    1. परिवीक्षा सेवाएं
    2. परामर्श
    3. मामला कार्य (केस वर्क)
    4. सुरक्षित स्थान

जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो सकें तथा जिनके पास संरक्षण अधिकरणों के रूप में क्षमताएं, सुविधाएं, विशेषता हो जिनके द्वारा वे किशोर को पकड़े जाने के समय

1. किशोर की सामाजिक प्रष्ठभूमि तैयार करने में सहायता दे सके।
2. कथित अपराध के साथ साथ जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया है उसका ब्यौरा देने में सहायता कर सके।
3. बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने तक उसकी देखरेख कर सके।
4. किशोर/बच्चे को 24 घण्टों के भीतर बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता कर सके।
5. किशोर/बच्चे को जा डरा हुआ/सहमा हुआ है उसे उचित परामर्श दे सके।

6. विधि के साथ संघर्षरत किशोर/बच्चे के माता–पिता संरक्षक का परामर्श कर सके।

7. बच्चे/किशोर को आवश्यक चिकित्सीय सेवाओं को मुहैया कराने में सहायता कर सके।

8. बच्चे/किशोर को देखरेख के दौरान पारिवारिक माहौल दे सकने में सामर्थ्य हो ।

9. बच्चे/किशोरों की शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, प्यास, मलमूत्र इत्यादि जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर सके।

10. लापता/गुमशुदा बच्चों के माता–पिता/संरक्षक को ढूढ़ने में सहायता प्रदान कर सके।